# न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

**पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन**

**विविध सिविल (उत्तराधिकार) प्रा.पत्र सं. : 12212/2025**

1. अजय कुमार बाजपेयी पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण बाजपेयी, आयु 66 वर्ष, निवासी 158, मुक्तानंद नगर, टोंक रोड़, वार्ड नं. 21, जयपुर (राज.)
2. संजय बाजपेयी पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण बाजपेयी, आयु 64 वर्ष, निवासी 159, मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड़, नियर पूजा टावर जयपुर (राज.)

———प्रार्थीगण

**बनाम**

हर आम हर खास

———विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372**
**भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925**

**उपस्थितिः**

1. श्री नितेश पारीक, श्री प्रमोद कुमावत व श्री संजीव चावला, योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण

## आदेश दिनांक : 29.04.2026

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण अजय कुमार बाजपेयी व संजय बाजपेयी द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत याचिका दिनांक 30.06.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण की ओर से याचिका पेश कर अपने माता–पिता क्रमशः श्रीमती इन्दु बाजपेयी व श्री लक्ष्मीनारायण बाजपेयी की निर्वसीयती मृत्यु दिनांक 14.06.2022 व 15.05.2005 को हो जाना बताते हुए मृतकगण के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य कोई मौजूद नहीं होना कथन किया है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी के नाम से याचिका की मद संख्या 2 में वर्णित शेयर्स की प्राप्ति हेतु प्रार्थीगण ने स्वयं के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया। याचिका के

समर्थन में प्रार्थीगण अजय कुमार बाजपेयी व संजय बाजपेयी ने स्वयं के पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद आम जनता की सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये व दैनिक समाचार पत्र में इश्तिहार प्रकाशित कराया गया, ढोल बजाकर मुनादी करवायी गयी, लेकिन आम जनता की ओर से कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया।

4. प्रार्थी पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. *क्या प्रार्थीगण मृतका श्रीमती इन्दु बाजपेयी के विधिक वारिसान होने से मृतका के नाम प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित शेयर के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है ? .....प्रार्थीगण.....*

2. *अनुतोष ?*

5. उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में अजय कुमार बाजपेयी को ए.ड.1 व संजय बाजपेयी को ए.ड.2 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत 5 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

6. बहस अंतिम प्रार्थी पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से है :–

**<u>विवाद्यक संख्या 1</u> :–**

7. इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है, इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों ए.ड.1 अजय कुमार बाजपेयी व ए.ड.2 संजय बाजपेयी ने अपने–अपने साक्ष्य शपथ पत्रों के माध्यम से याचिका में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि करते हुए कथन किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अपनी माता श्रीमती इन्दु बाजपेयी व पिता श्री लक्ष्मीनारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमशः प्रदर्श–3 व 5 एवं

प्रार्थीगण ने स्वयं के आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्श–1 व 2 पेश कर प्रदर्शित करवाए, जिनके अवलोकन से प्रार्थीगण के माता–पिता का देहान्त हो जाना व प्रार्थीगण उक्त मृतकगण के पुत्र होना प्रकट होते हैं।

8. जहां तक स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी द्वारा क्रय किए गए शेयर्स का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर Bank Of Baroda द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित करवाया तथा शेयर की दर इन्टरनेट से प्राप्त कर पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन से **स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी** के पक्ष में Bank Of Baroda (Folio No. BBE041095 100094 Certificate No. 2000094) द्वारा आवंटित 500 शेयर्स की वैल्यू 243.90 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से **1,21,950/–**रुपये होना प्रकट होता है।

9. स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी द्वारा इन शेयर्स के बाबत किसी के हक में वसीयत निष्पादित की हो, ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से मृतका श्रीमती इन्दु बाजपेयी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में प्रार्थीगण (पुत्र) के अतिरिक्त अन्य कोई मौजूद नहीं होना प्रकट होता है। आमजन की ओर से भी किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नहीं हुआ है। याचिका का अन्य कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः मृतका श्रीमती इन्दु बाजपेयी के नाम से आवंटित शेयर्स मय लाभांश को 1/2–1/2 हिस्से के रूप में प्राप्ति/अंतरण हेतु प्रार्थीगण के संयुक्त पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**<u>अनुतोष</u> :–**

10. विवाद्यक संख्या 1 के उपरोक्त विवेचनानुसार स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी के नाम से आवंटित शेयर्स मय लाभांश को 1/2–1/2 हिस्से के रूप में प्राप्ति/अंतरण हेतु प्रार्थीगण के संयुक्त पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने योग्य है।

## :: आदेश ::

11. परिणामस्वरूप अजय कुमार बाजपेयी व संजय बाजपेयी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि **स्व. श्रीमती इन्दु बाजपेयी के पक्ष में** प्रदर्श–4 Bank Of Baroda (Folio No. BBE041095 100094 Certificate no. 2000094) द्वारा आवंटित 500 शेयर्स की वैल्यू **1,21,950/–रुपये** पर अपने–अपने हिस्सेनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित न्यायशुल्क अदा करने के पश्चात, उपरोक्त शेयर्स मय लाभांश को 1/2–1/2 हिस्से के रूप में प्राप्ति/अन्तरण हेतु, प्रार्थीगण अजय कुमार बाजपेयी व संजय बाजपेयी के संयुक्त पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। बशर्ते कि प्रार्थीगण संयुक्त रूप से 1,50,000/–रूपये का वचन पत्र व इसी राशि का एक जमानतनामा न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दे कि उक्त चल सम्पत्ति का अन्य दावेदार होने पर वे न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्तशुदा अपने–अपने हिस्से की संपूर्ण राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से अदा करने को बाध्य होंगे।

12. यहां यह स्पष्ट करना समीचीन है कि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थीगण के इस आवेदन में वर्णित मृतका के ऋण व प्रतिभूति की सीमा तक ही प्रभावी होगा, अन्य किसी चल या अचल सम्पत्ति पर प्रभावी नहीं होगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने तक इस आदेश की प्रतिलिपि जारी नहीं की जाए।

**( ब्रजेन्द्र जैन )**
**जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम**

13. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( ब्रजेन्द्र जैन )**
**जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम**

KANA RAM
KUMAWAT

01.05.2026 09:11
"Stenographer
Authenticated
Document"